जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गौतम बुद्व नगर ।
उपस्थित–

श्री अनिल कुमार पुण्डीर, अध्यक्ष,
श्री दया शंकर पाण्डेय सदस्य,

परिवाद संख्या–468/18

1–अलताफ खान पुत्र श्री आस मौहम्मद, निवासी मौहल्ला खतीवान, कस्बा व थाना जेवर, जिला गौतम बुद्व नगर ।

----------परिवादी।

प्रति

1–शारदा हॉस्पिटल प्लॉट नं0 32–34, नॉलिज पार्क–3 ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्व नगर उ0प्र0 द्वारा डायरेक्टर ।

------- विपक्षी।

परिवाद संस्थित करने का दिनांक 09/10/18
निर्णय दिनांक 29/12/20

श्री अनिल कुमार पुण्डीर, अध्यक्ष, द्वारा

निर्णय

परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्व अंकन 500,000/–रूपये मय बैंक ब्याज 18,प्रतिशत, मानसिक, आर्थिक एवं शरीरिक क्षति की एवज में अंकन 200,000/–रूपये, वाद व्यय 25,000/–रूपये प्राप्त करने हेतु संस्थित किया है ।

सक्षेंप में परिवादी का कथन है कि परिवादी के पेट मे कुछ समय से दर्द हो रहा था । कई बार दर्द होने पर परिवादी ने दिनांक 13–3–18 को कैलाश अस्पताल जेवर में अल्ट्रासाउंड कराया । अल्ट्रासाउंड कराने के बाद परिवादी को पता चला कि परिवादी के दॉयी किडनी में पथरी है । परिवादी अपनी अल्ट्रसांउन्ड रिपोर्ट लेकर शारदा अस्पताल ग्रेटर नोएडा डॉक्टर को दिखाने गया तो परिवादी को डॉक्टर सतेन्द्र कुमार ने आपरेट किया और बताया कि तुम्हारी दॉयी किडनी में छोटी–बड़ी पथरी है उसको तुरन्त नहीं निकाला गया तो परेशानी बढ़ सकती है । डॉक्टर सतेन्द्र कुमार ने परिवादी को तुरन्त भर्ती होने की सलाह दी और उसी दिन शारदा अस्पताल ग्रेटर नोएडा में भर्ती हो गया अस्पताल में भर्ती होने के बाद वहां के डॉक्टरों ने शारदा अस्पताल में भी परिवादी के काफी टैस्ट कराये जिसमें परिवादी के शरीर से सम्बन्धित सभी टैस्ट किडनी को छोड़कर नॉर्मल थे । परिवादी का डॉक्टर सतेन्द्र कमार ने दॉयी किडनी में जो पथरी थी उसका दिनांक 24–3–18 को ऑपरेशन किया । ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आपका ऑपरेशन भली भांति हो गया । अब भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी । परिवादी का कथन है कि ऑपरेशन के बाद भी परिवादी के दर्द मे कमी नहीं आयी तो दिनांक 26–3–18 को डॉक्टरों ने परिवादी का अपने ही अस्पताल में एक एक्सरा कराया जिसमें परिवादी की दॉयी किडनी में पथरी मौजूद थी परन्तु डॉक्टरों ने परिवादी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद परिवादी को दर्द के साथ पेशाब में खून का आना शुरू हो गया । परिवादी ने डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी दॉयी किडनी में डीजे स्टंट डालने पड़ेगें । चूंकि परिवादी की परेशानी लगातार बढ़ गयी थीं । परिवादी ने

डॉक्टरों को इन स्टंट को डालने की इजाजत दे दी । डॉक्टरों ने स्टंट डालने से पहले परिवादी के परिवार वालों को पूर्ण विश्वास दिलाया कि स्टंट डालने के बाद कोई परेशानी शेष नहीं रहेगी डॉक्टरों ने परिवादी को स्टंट डाल दिये जाने के बाद दिनांक 9–4–18 को डिस्चार्ज कर दिया गया और कहा कि दिनांक 15–5–18 को तुमको अस्पताल वापस आना है तथा इन स्टंटों को निकलवाना है। परिवादी दिनांक 15–5–18 को शारदा अस्पताल गया तथा वहां पर दॉयी किडनी में डाल गऐ स्टंट को निकलवाकर वापस आ गया । दिनांक 16–5–18 को परिवादी के फिर दर्द शुरू हो गया परिवादी पेशाव करने गया तो परिवादी को पेशाव में खून आया । जब परेशानी बढ़ी तो परिवादी ने दिनांक 20–5–18 को कैलाश अस्पताल जेवर में एक अल्ट्रासाउंड कराया अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट में परिवादी के 11.5 एम.एम. व 18 एम.एम. व इसके अलावा कई छोटो–छोटी पथरीयां होना दर्शाया गया । परिवादी पुनः शरदा अस्पताल आया तथा दिनांक 20–5–18 को कराए गए अल्ट्रासांउड डॉक्टरों को दिखाया तो शारदा अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी ओर से एक अल्ट्रासांउड परिवादी के पेट का कराया जिसमें पथरी की पुष्टि हुई । परन्तु डॉक्टरों ने परिवादी को कोई सन्तोषपूर्ण जबाब नहीं दिया और कहा कि तुम्हारे दोबारा पथरी हो गयी है । इसका दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसके लिए दुबारा से रूप्या जमा करना होगा । परिवादी ने इसकी शिकायत अस्पताल के एम.एस. डॉ0 अनुपराज से की तो उन्होंने भी परिवादी को कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया और कहा कि अगर इस अस्पताल में दुबारा ऑपरेशन करना है तो सम्पूर्ण रूपया व दवाई खर्च देना होगा । परिवादी कई बार शारदा अस्पताल गया परन्तु शारदा अस्पताल के डॉक्टर परिवादी से बात करने को तैयार नहीं है और परिवादी को कई बार धमकाकर भगा दिया । अतः परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्व अंकन 500,000/–रूपये मय बैंक ब्याज 18,प्रतिशत, मानसिक, आर्थिक एवं शरीरिक क्षति की एवज में अंकन 200,000/–रूपये, वाद व्यय 25,000/–रूपये प्राप्त करने हेतु संस्थित किया है ।

विपक्षी नोटिस की तामील के पश्चात उपस्थित नहीं हुए न ही प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया । विपक्षी के विरूद्व वाद की कार्यवाही एक पक्षीय की गई ।

परिवादी ने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, बिल, टैस्ट रिपोर्ट आदि प्रपत्रों की छाया प्रति प्रलेखीय साक्ष्य में दाखिल की है ।

परिवादी की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया गया ।

विपक्षी आयोग में उपस्थित नहीं हुए न ही कोई जबाब दिया गया विपक्षी के विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय की गई परिवादी ने अपने कथनों को सशपथ साबित किया है जिसका खण्डन विपक्षी ने नही किया है। अतः साबित होता है कि विपक्षी परिवादी का इलाज सही प्रकार से न करके व इलाज व दवाईयों पर हुए खर्च की

धनराशि वापस न करके विपक्षी ने अपनी सेवा में कमी की है । तदानुसार परिवादी का परिवाद न्याय हित में एक पक्षीय रूप से स्वीकार होने योग्य है ।

परिवादी ने अपने परिवाद में उपचार पर व्यय की गयी धनराशि के संबध में बिल व वाउचर की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है परन्तु उपचार पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुयी इसका विवरण नहीं दिया गया है । परिवादी ने इलाज दवाइयां आने जाने जाने विशेष आहार, पीड़ा व पढ़ाई में हुए एक वर्ष के नुकसान हेतु 500,000/–रूपये व मानसिक आर्थिक एवं शरीरिक क्षति की एवज में 200,000/–रूपये की धनराशि एवं परिवाद व्यय दिलाने की भी प्रार्थना की है । परिवादी ने क्यो कि उपचार पर हुए व्यय की कुल राशि अंकित नहीं की है । अतः आयोग की राय में परिवादी को समस्त मदों में 100,000/–रूपये की धनराशि दिलाया जाना उचित होगा ।

आदेश

परिवादी का परिवाद एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है । विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के इलाज व दवाईयों पर खर्च हुई धनराशि, शारिरिक पीड़ा मानसिक व आर्थिक क्षति अंकन 100,000/–रूपये, 06, प्रतिशत ब्याज सहित परिवाद दायर करने के दिनांक से अदायगी के दिनांक तक 60 दिन के अन्दर परिवादी को अदा करे । वाद व्यय के रूप में 1000/–रूपये भी 60 दिन के अन्दर परिवादी को अदा करे।

दिनांक 29–12–2020

29/12/2020
(दया शंकर पाण्डेय)
सदस्य

28.12.20
(अनिल कुमार पुण्डीर)
अध्यक्ष

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गौतम बुद्व नगर ।

निर्णय पर हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए, दिनांक अंकित की गई तथा निर्णय खुले आयोग/न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

29/12/2020
(दया शंकर पाण्डेय)
सदस्य

28.12.20
(अनिल कुमार पुण्डीर)
अध्यक्ष